

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-27/2017/1461/चि0-3-17-1639/2013

लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-17445/2017 डा0 अवध किशोर प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेश दिनांक 25-05-2017 के अनुपालन में डा0 अवध किशोर प्रसाद, बाल रोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-9806क) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर का शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1463/चि0-3-2014-1639/2013, दिनांक 31-07-2014 द्वारा जिला चिकित्सालय, कासगंज किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1463/चि0-3-2014-1639/2013, दिनांक 31-07-2014 इस सीमा तक संशोधित पढा/समझा जाय ।

नर्वेद्र सिंह

विशेष सचिव

संख्या-27/2017/1461 (1)/चि-3-17, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
2. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति डा0 अवध किशोर प्रसाद को तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, कासगंज ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/कासगंज ।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर ।)
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें ।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-28/2017/2024/चि0-3-17-59रिट/2017
लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-14275(एस0बी0)/2017 डा0 शैलेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 29-06-2017 के अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29-05-2017 द्वारा डा0 शैलेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्सा अधीक्षक (वरि0क्र0-12712, लेवल-2), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटियाथोक, गोण्डा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काजीदेवर, गोण्डा किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


2- मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के आदेश दिनांक 29-05-2017 इस सीमा तक संशोधित पढा/समझा जाय ।

नरेंद्र सिंह
विशेष सचिव

संख्या-28/2017/2024 (1)/चि0-3-17, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
2. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति डा0 शैलेन्द्र कुमार सिंह को तामील कराकर तामिली की सूचना शासन को 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा।
8. चिकित्सा अनुभाग-2/8, गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव
L

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।